

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर**  
(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 02/2016 (राजस्व अपील)

**अनवान**

1. श्री सुखलाल पिता थावरा मेघवाल, निवासी खूटानेरी (चीकला) तहसील ऋषभदेव।  
—प्रार्थी/अपीलान्त

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्री शंकर पिता भेरा मेघवाल, निवासी खूटानेरी (चीकला) तहसील ऋषभदेव।
3. श्री भेरा पिता खेमा मेघवाल, निवासी खूटानेरी (चीकला) तहसील ऋषभदेव।
4. श्री प्रदीप पिता पूजा मेघवाल, निवासी खूटानेरी (चीकला) तहसील ऋषभदेव।
5. श्री कालू पिता हलिया मेघवाल, निवासी खूटानेरी (चीकला) तहसील ऋषभदेव।  
— विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट

**उपस्थित**

1. श्री संजय बोहरा, अपीलान्त अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

<b>अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</b> <b>अपील विरुद्ध प्रकरण सं. 538/14 न्यायालय तहसीलदार ऋषभदेव आदेश दिनांक 16.02.15</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**\* निर्णय \***

दिनांक— 11-02-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार ऋषभदेव मुकदमा संख्या 538/2014 निर्णय दिनांक 16.02.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त के मकान गांव भूधर, मौजा रतनपुरा मे 100 साल पहले से बने हुए है तथा वे अपने मकानों का शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा मकानों के बाहर रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता सेटलमेंट के पूर्व 10फीट का बता रखा था एवं रास्ता हाल सेटलमेंट मे 20-25फीट चौड़ा बता दिया गया। इस कारण अपीलान्त को जानबुझकर गलत नोटिस दिये गये है, जबकि पूरा गांव इसी अनुसार बसा हुआ हैं। अपीलान्त के पुराने मकान बने हुए है, जिसमे अपीलान्त एवं उनका परिवार निवास कर रहा हैं तथा कथित भूमि को जो आबादी के रूप मे काम मे आ रही है उसमे रास्ता हाल सेटलमेंट के अनुसार न बताकर चौड़ा बता दिया गया हैं, जबकि सेटलमेंट विभाग को रास्ते मे साईज के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। हाल सेटलमेंट मे केवल साबिक सेटलमेंट के इन्द्राजात को रिपीट करना होता हैं। उन्हे इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्त के मकान नियमानुसार बने हुए हैं तथा गांव का रास्ता अपीलान्त के मकानों के सामने पक्का बना हुआ है एवं दोनो ओर नालिया भी बनी हुई हैं, परन्तु तहसीलदार द्वारा आबादी के रूप मे बसे हुए मकानो को रास्ते की जमीन पर होना कहकर हटाने का आदेश दिया, जो बिलकुल गलत होकर बिना अधिकार के हैं। सरपंच द्वारा जानबुझकर अपीलान्त को मकानो के पट्टे मे भी जारी नहीं किये गये है। सारी कार्यवाही वोईड़ है तथा

यह मकान आबादी भूमि पर बने हुए हैं एवं रास्ता भी आबादी भूमि के मध्य स्थित है। ऐसी स्थिति में कथित भूमि से कब्जा हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्त के मकानों के सामने 10-12फीट का रास्ता शुरू से छुटा हुआ है एवं अपीलान्त के मकानों को बने करीब 100वर्षों का समय हो चुका है, इस कारण उन्हें नियमित किया जावे। कथित रोड़ पी.एम.जी. रोड़ नहीं है तथा उनकी दुरी 1 कि.मी. से भी कम दूर है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया, वह गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 निरस्त फरमाया जाकर कथित मकान नियमन कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 से 5 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से विपक्षी संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब बंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 538/2014 निर्णय दिनांक 16.02.2015 मंगवाई जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्त अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा सेटलमेंट के पूर्व के रेकॉर्ड, मिलान खसरा, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त के मकान गांव भूधर, मौजा रतनपुरा में 100 साल पहले से बने हुए हैं तथा मकानों के बाहर रास्ता सेटलमेंट के पूर्व 10फीट का बता रखा था एवं रास्ता हाल सेटलमेंट में 20-25फीट चौड़ा बता दिया गया। इस कारण अपीलान्त को जानबुझकर गलत नोटिस दिये गये हैं, जबकि पूरा गांव इसी अनुसार बसा हुआ है। सेटलमेंट विभाग को रास्ते में साईज के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। हाल सेटलमेंट में केवल साबिक सेटलमेंट के इन्द्राजात को रिपीट करना होता है। उन्हें इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा आबादी के रूप में बसे हुए मकानों को रास्ते की जमीन पर होना कहकर हटाने का आदेश दिया, जो बिलकुल गलत होकर बिना अधिकार के है। कथित रोड़ पी.एम.जी. रोड़ नहीं है तथा उनकी दुरी 1 कि.मी. से भी कम दूर है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 निरस्त फरमाया जाकर कथित मकान नियमन कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि पटवारी हल्का चिकला द्वारा जांच रिपोर्ट, मौका पर्चा, नकल जमाबंदी प्रस्तुत कर सम्पर्क सड़क खूंटानेरी-रतनपुरा भूमि पर अपीलान्त, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 5 द्वारा आराजी संख्या 16 रकबा 0.56हे. किस्म रास्ता पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये। जिसमें ग्राम खूंटानेरी के बिलानाम आराजी संख्या 16 रकबा 0.56हे. भूमि किस्म रास्ता (सम्पर्क सड़क खूंटानेरी से रतनपुरा) पर श्री शंकरलाल पिता मंगला का 9X34=306वर्गफीट, रेस्पोंडेन्ट सं. 3 श्री भेरा पिता खेमा का 7X36=252वर्गफीट, अपीलान्त श्री

सुखलाल पिता थावरा मेघवाल का 7X35=245वर्गफीट, रेस्पोडेन्ट सं. 4 श्री प्रदीप पिता पुंजा का 6X26=156वर्गफीट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5 श्री कालु पिता हलिया का 10X31=310वर्गफीट भूमि किस्म रास्ता पर अतिक्रमण माना एवं रास्ते की जमीन नियमन के योग्य न होने से अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र, दस्तावेजो, सेटलमेंट के पूर्व एवं हाल रेकॉर्ड, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम खूंटावेरी के बिलानाम आराजी संख्या 16 रकबा 0.56हे. भूमि किस्म रास्ता (सम्पर्क सड़क खूंटावेरी से रतनपुरा) पर श्री शंकरलाल पिता मंगला द्वारा 9X34=306वर्गफीट, रेस्पोडेन्ट सं. 3 श्री भेरा पिता खेमा द्वारा 7X36=252वर्गफीट, अपीलान्ट श्री सुखलाल पिता थावरा मेघवाल द्वारा 7X35=245वर्गफीट, रेस्पोडेन्ट सं. 4 श्री प्रदीप पिता पुंजा द्वारा 6X26=156वर्गफीट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5 श्री कालु पिता हलिया द्वारा 10X31=310वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण करने से तहसीलदार द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी कर अतिक्रमियों के कब्जे हटाये जाने के आदेश पारित किये हैं, जो नियमानुसार हैं, किन्तु अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुराने सेटलमेंट के रेकॉर्ड इत्यादि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि गत सेटलमेंट की आराजी संख्या 1मीन जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा 5 बिस्वा दर्ज था, जिसके हाल सेटलमेंट में मिलान खसरे के अनुसार हाल आराजी संख्या 15 क्षेत्रफल 0.03हे. एवं आराजी संख्या 16 क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर बने हैं। गत एवं हाल सेटलमेंट का अवलोकन किया गया, जिससे अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि दोनों ही सेटलमेंट के नक्शा ट्रेस में रास्ता की चौड़ाई कहीं अधिक एवं कहीं कम है, इसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में चिन्हित अतिक्रमण शुदा नक्शा ट्रेस की प्रति सलंग्न नहीं की गई है, जिससे अपीलान्ट के मकान किस आराजीयात पर बसे हैं स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के मकान हाल सेटलमेंट के पूर्व का है अथवा बाद के है, यह भी स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम संबंधित बिंदुओं पर पुनः जांच कराया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रकरण संख्या 538/14 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ऋषभदेव को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित बिंदुओं पर जांच कर, अपीलान्ट को सुनकर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर